

10/2/22

पत्रावली पेज दुई । वकील वादी अनुपस्थित।  
 पक्षकार की अनुपस्थिति । पत्रावली लम्बे समय  
 से साक्ष्यवादी में चल रही है एक - एक कर  
 तीन बार साबाज डिलायी गयी फिर भी वकील  
 वादी पक्षकार अनुपस्थित होने लगेते में  
 न्यायलय इस पत्रावली को भागे जेरकर रखना  
 उचित नहीं समझता है। कारण उनकी डुराना है।  
 इस पत्रावली सदय हाजरी सदय पैरवी में  
 खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल अगार  
 लेकर नम्बर से कम की जाये।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2022 को लरे  
 इजलास में सुनाया गया।



जज अहकाम अधिकारी  
 मंगरोल जिला म. नं (राज०)